न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 283/2018
GCMS Case No. : 2018/00395

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
इन्दरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी झपेलाव, तहसील सोजत हाल गांधीधाम, गुजरात		1. रूपकंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी झूपेलाव, तहसील सोजत जिला पाली 2. तहसीलदार सोजत, जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 10/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 31.05.1986 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम झूपेलाव के खसरा संख्या 316 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि आंवटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई गंगासिंह तत्कालीन सरपंच था तथा सरपंच पद पर रहते हुये अपनी बहन के पक्ष में उक्त भूमि आवंटित करवाई जबकि इनके परिवार में 79.66 बीघा जमीन उपलब्ध है, उसके उपरान्त भी नियम विरूद्ध तरीके से बिना कोई प्रक्रिया अपनाये आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अप्रार्थी संख्या 1 की शादी हो रखी है तथा उसके हिस्से में कृषि भूमि होने के उपरान्त भी उसे भूमिहीन बताकर नियमविरूद्ध तरीके से खसरा संख्या 316 में उक्त भूमि आवंटित करवाई। अप्रार्थी के पिता के पास कृषि भूमि थी, इसलिये अप्रार्थी भूमिहीन नहीं थी। आवंटन अधिकारी ने बिना कोई जांच किये, बिना प्रक्रिया की पालना किये विधिविरूद्ध तरीके से जैर आवंटन आदेश पारित कर दिया। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा न तो भौतिक कब्जा किया गया, न ही कोई काश्त की गयी और न ही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भूमि का उपयोग उपभोग किया। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आवंटन आदेश पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति, शिविर चाड़वास में दिनांक 31.05.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटित ग्राम झूपेलाव के खसरा संख्या 316 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र लगभग 32 वर्ष की देरी से पेश किया है, जिसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनिमय, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है और प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मीमों में भी लगभग 32 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को माफ करने का कोई विश्वसनीय, संतोषजनक एवं न्यायोचित कारण नहीं दिया गया है। अतः 32 वर्ष के अप्रत्यक्षित विलम्ब को बिना कारण के माफ करना हमारी दृष्टि में पूर्णतया अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

जहां तक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2007(2) RRT 1430 State of Rajasthan vs Bhanwar lal के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–14.8.1963 को 9 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित की –प्रार्थी यह साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहा कि आवंटी आवंटन के पूर्व 10 बीघा भूमि के कब्जे में था–40 वर्ष पूर्व आवंटन किया–40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है और यह न्याय के साथ खिलवाड होगा–निर्णित, आलोच्य निर्णय की पुष्टि की। इसी प्रकार 2001 आर.आर.डी. 125, 377 भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें पेज 125 पर यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultureal Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) - Allotment can not be cancelled after 30 years - After 10 years allottee can be ejected under the provisions of Rajasthan Tenancy Act. Under the allotment Rules of 1957 land was allotted to the appellant in the year 1963. Even if the land was allotted under the Allotment Rules of 1957 same can be cancelled under the allotment Rules of 1970 if the allotment was obtained by fraud or mis representation. It was held that after a lapse of 25 years the allotment of land cannot be cancelled. The Board of Revenue accepted the appeal and set aside the order of both lower court. साथ ही अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1996(3) RBJ 287 Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(3) And Rule 18 Section 9 of the Rajasthan land Reveune Act. 1956 - Allotment of land cannot be cancelled after lapse of 23 years. इसी प्रकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2004 आर.बी.जे. 535 पर भी यह कहा गया है कि – Limitataion Act, 1963-Section 5-Sufficient cause-Whilse condoning the delay on should not forget that valualbe right have accrued to the opposite party-Delay should be condoned only when there is sufficient cause-The words "Sufficient cause" under Section"5 of the Limitation Act should receive a liberal construction so as to advance substantial justice, but it does not mean to inter that delay should be condoned in eact and every case unless discretion exercised by the Court is on untenable grounds or arbitrary or perverse and in the eventually. साथ ही 2004 आर.बी.जे. 327 अनुसार Limitataion Act, 1963-Section 5-Condonation of delay-Delay of 12 years in filling appeal against final decree cannot be condoned-The Board of Revenue dismissed the Second appeal against the judgment dated 20-03-1984 in the first instance on 11-04-1989. While dismissing the appeal, the Board of Revenue has observed that the appellant has not preferred any application for explanation of 12 years dealy in filing the appeal. appeal dismissed. तथा न्यायिक दृष्टान्त 2011(2) डी.एन.जे. (राज.) 710 बल्लभदास व अन्य बनाम जिलाधीश व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आवंटन को 40 वर्षों पश्चात् निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त 1997 आर.आर.डी. 412 पर भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land For Agricultural Purpose) Rules 1970 - Rule 14(4) - Landrecorded a gair-mumkin rasta allotted-application under Rule 14(4), rejected by subordinate Courts-Revision-Held, Soil Classification of disputed land was changed a Barani kk prior to allotment and, therefore, 2 bigha area out of total area of Khasra No. 2132 is available for allotment-The matter has been brought to the notice after 19 years of allotment and decision of subordinate Courts is concurrent-Be-sides this, complainant has no right of appeal-Second appeal, held not maintainable. अतः यहां निश्चित रूप से यह प्रार्थना–पत्र अप्रत्यक्षित विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब को कण्डोन करने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं है। इसलिये मियाद के विन्दु पर ही हस्तगत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी संख्या 1 शादीशुदा महिला थी तथा उसका भाई सरपंच था तथा वह सरपंच रहते हुये आवंटन कमेटी का सदस्य था और अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में उक्त आवंटन आदेश पारित करवाये जो कि विधिविरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक सलाहकार समिति के परामर्श से किया गया, जिसमें तहसीलदार, सरपंच, सहवृत सदस्य उपस्थित थे, जो कि नियम 13 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। उक्त नियम के द्वितीय परन्तुक में अंकितानुसार "यह और कि जहाँ सलाहकार समिति का कोई सदस्य किसी आवेदक में उसका सम्बन्धी होने के नाते या अन्यथा कोई हित रखता हो तो ऐसा सदस्य समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा। उक्त परन्तुक राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(12) राजस्व–6/91, दिनांक 06.11.1996 के द्वारा जोड़ा गया है जबकि उक्त आवंटन वर्ष 1986 में किया गया और किसी भी अधिसूचना का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 1 तत्समय शादीशुदा थी अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे कें समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। साथ ही न्यायालय अक्सर "सतत् और वैध अधिकारों" की रक्षा करता है, जो किसी पूर्व नियम या कानून के तहत प्राप्त हुए हों। सामान्यतः नया कानून या नियम पूर्व में हुई घटनाओं या दिए गए अधिकारों पर लागू नहीं होता। जिसका तात्पर्य यह है कि पहले से प्राप्त या जारी अधिकार, निर्णय या पट्टे आदि को नए नियम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। नए नियम का प्रभाव केवल नियम लागू होने के बाद की क्रियाओं या मामलों पर ही पड़ता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सिद्धान्त व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि "नए कानूनों का पूर्व से प्राप्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं" (No retrospective effect) यह न्यायसंगत और न्यायपालिका के संविधानिक सिद्धान्तों के अनुरूप भी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1961 SC 1667 Union of India vs Tara Chand में कहा है कि कानूनों का प्रभाव भविष्य में होता है, न कि पहले हुए कार्यों पर। अगर कोई अधिकार पहले वैध रूप से दिया गया है, तो उसे नया कानून प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार (2006) 3 SCC 1 Bharat Sanchar Nigam Ltd. vs Union of India में यह स्पष्ट किया कि जब कोई नया कानून या नियम बनता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके लागू होने के बाद की घटनाओं पर पडता है। पुराने अधिकारों या अनुबंधों का प्रभावित नहीं किया जा सकता। साथ ही AIR 1955 SC 549 K.K. Verma vs Union of India में स्पष्ट कहा गया कि कानून का नियम तभी पुरानी घटनाओं पर लागू होता है जब उसमें स्पष्ट रूप से ऐसी मंशा व्यक्त की गई हों अन्यथा, कानून का प्रभाव भविष्य के लिए माना जाता है अर्थात् नियमों को प्रतिगामी प्रभाव देना तभी संभव है जब वह साफ तौर पर कानून में लिखा हो। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1963 SC 884 Delhi Cloth & General Mills C. Ltd. vs Union of India में यह स्थापित किया कि नए नियम या आदेश पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे जब तब कि कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था न हो अर्थात् पुरानी संपत्तियों या अधिकारों को नए नियम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त न्यायिक नजीरों से यह सुस्पष्ट है कि किसी नियम अथवा कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन (retrospective effect) नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रश्नगत आवंटन वर्ष 1986 में किया गया है जबकि सहालकार समिति में सम्बन्धी के सम्मिलित नहीं होने के तर्क वर्ष 1996 में जोड़ा गया, इसलिये उक्त संशोधन प्रश्नगत आवंटन को प्रभावित नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने ग्राम झूपेलाव के खसरा संख्या 316 की भूमि आवंटन हेतु नियम 8 में वर्णितानुसार प्रारूप 3 के अनुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना–पत्र में सभी भाईयों का नाम दर्शाते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हुये कुल भूमि का रकबा अंकित किया है तथा आवेदन पर रूपकंवर व एक गवाह का नाम मय हस्ताक्षर अंकित है। वर्ष 1986 में प्रचलित नियमों के अनुसार नोशनल शेयर के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने वाली भूमि नियम 2 के उप नियम (iii–ख) के अनुसार भूमिहीन की श्रेणी में आती है तथा उक्त व्यक्ति को नियम 12 में वर्णितानुसार प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटित की जा सकती है, जो कि प्रश्नगत प्रकरण में किया गया है। वक्त आवंटन खसरा संख्या 316 की किस्म बंजड़ थी, जो कि राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन के लिये प्रतिबंधित नहीं थी। इसके अतिरिक्त पटवारी रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अन्य स्थान या सर्कल में कोई भूमि नहीं है तथा आवेदनकर्त्ता तत्समय नियम 1970 की शर्तों के तहत पात्र महिला थी। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त भमि आवंटन रजिस्टर दिनांक 06.06.1985 से 25.02.1988 के पृष्ट संख्या 81 पर दिनांक 31.05.1986 को आवंटन कमेटी की बैठक व उपस्थित सदस्यों का अंकन है तथा क्रम संख्या 107 पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किय गये आवंटन का अंकन है एवं बैठक समाप्ति पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी रजिस्टर में दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन कमेटी ने सम्पूर्ण जांच के उपरान्त अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत भूमि आवंटित की, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति, शिविर चाड़वास में दिनांक 31.05.1986 को अप्रार्थी संख्या 1 के पख में किये गये ग्राम झूपेलाव के खसरा संख्या 316 रकबा 0.8000 हैक्टेयर भूमि आंवटन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ कार्यालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली